

सशस्त्र हिंसा और विकास पर जिनिवा घोषणापत्र

सशस्त्र हिंसा ना सिर्फ जिन्दगी और आजीविका को नष्ट करती है, बल्कि असुरक्षा, भय और आतंक भी पैदा करती है, जिसका गहरा और नकारात्मक प्रभाव मानव विकास पर पड़ता है। संघर्ष और अपराध के हालात होने पर किसी भी देश, समाज और इंसान को एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है।

सशस्त्र हिंसा की वजह से स्कूल बंद हो जाते हैं, बाजार खाली हो जाते हैं, स्वास्थ्य सेवाओं पर असर पड़ता है, परिवार बर्बाद हो जाते हैं, कानून के नियम कमजोर बनते हैं और जरूरतमंद लोगों तक मानवीय सहायता नहीं पहुंच पाती। प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से सशस्त्र हिंसा के कारण हर साल लाखों लोगों की मौत होती है और अनगिनत लोग घायल हो जाते हैं जिसका असर कई बार पूरी जिन्दगी रहता है। ये स्थायी रूप से मानवाधिकारों के सम्मान का हनन है।

सशस्त्र हिंसा की आशंका से मुक्त होकर जीना इंसान की एक बुनियादी जरूरत है। मानव के विकास, सम्मान और खुशहाली के लिए ये एक अनिवार्य शर्त है। अपने नागरिकों को इंसानी सुरक्षा प्रदान करना सरकारों की मुख्य जिम्मेदारी है।

2005 में विश्व सम्मिट के कागजी दस्तावेज में विश्व के नेताओं ने विकास, शांति, सुरक्षा और मानवाधिकारों के बीच मजबूत कड़ी और आपसी सुदृढ़ीकरण को स्वीकार किया। उन्होंने लोगों के सम्मान के साथ और भयमुक्त जीने के अधिकार पर जोर दिया।

अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने ये माना है कि सशस्त्र हिंसा और संघर्ष सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों (मिलेनियम डेवलपमेंट गोल) के पूरा होने की राह में रोड़ा डालते हैं। संघर्ष को रोकना और सुलझाना, हिंसा में कमी, मानवाधिकार, सुशासन और शांति निर्माण – गरीबी हटाने, आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और लोगों की जिन्दगी बेहतर बनाने की ओर ये महत्वपूर्ण कदम हैं।

शांति निर्माण कमीशन सुरक्षा और विकास के बीच एक संस्थागत कड़ी स्थापित कर संघर्ष के बाद शांति निर्माण के लिए एकीकृत पहल को भी बढ़ावा देगा और सशस्त्र हिंसा की समस्या के समाधान में केन्द्रीय भूमिका निभाएगा।

हम, जो विश्व के सभी क्षेत्रों के 42 देशों के प्रतिनिधि और मंत्री हैं, इन वास्तविकताओं को ध्यान में रखते हुए जिनिवा में एकत्रित हुए हैं और हमने सतत सुरक्षा को बढ़ावा देने और शांति स्थापन के लिए सशस्त्र हिंसा घटाने और उसके सामाजिक-आर्थिक और मानव विकास पर नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए कदम उठाने का संकल्प लिया है।

हम सशस्त्र हिंसा में कमी लाने और संघर्ष रोकने के कार्यक्रमों की राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और बहुपक्षीय विकास रूपरेखा, संस्थाओं और रणनीतियों, मानवीय सहायता, आपातकाल और संकट प्रबंधन पहल के एकीकरण के लिए अपने प्रयासों को और मजबूत करेंगे।

हम व्यक्तिगत तौर पर और साथ मिलकर राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और बहुपक्षीय स्तरों पर ऐसे व्यावहारिक कदम उठाएंगे जो :

- संघर्ष को रोकने, उसके समाधान और सुलह, और शांति निर्माण और स्थापन को मजबूती प्रदान करे।
- छोटे हथियारों और गोलाबारूद के प्रसार, अवैध ट्रेफिकिंग और गलत इस्तेमाल को रोके और हथियारों की कमी, संघर्ष के बाद प्रभावी निरस्त्रीकरण, वियोजन और एकीकरण की ओर बढ़े और छोटे हथियारों के नियंत्रण के साथ हथियारों के हस्तांतरण और अवैध बिचौलियों पर नियंत्रण लाए।
- मानवाधिकारों को पूरा सम्मान दे, संघर्षों का शांतिपूर्ण समझौता न्याय और कानून के नियमों पर आधारित हो, और माफी के माहौल को बढ़ावा मिले।
- प्रभावी और जवाबदेह सार्वजनिक सुरक्षा संस्थानों को बढ़ावा मिले।



- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की प्रस्ताव संख्या 1325 और 1612 के मुताबिक सशस्त्र हिंसा रोकने के मुद्दे पर एक व्यापक दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया जाए, मुश्किल हालातों, पुरुषों और महिलाओं, लड़कों और लड़कियों की जरूरतों और संसाधनों की पहचान की जाए
- ये सुनिश्चित किया जाए कि सशस्त्र हिंसा को रोकने और कम करने की पहल को कुछ लक्ष्य-विशिष्ट खतरों और समूहों और उन कार्यक्रमों से जोड़ा गया है जो व्यक्तियों और समुदायों के लिए आजीविका के अहिंसक विकल्प उपलब्ध कराते हैं।

हम छोटे और हल्के हथियारों की मांग और आपूर्ति, दोनों से कारगर ढंग से निपटने के लिए आगे कदम उठाएंगे। इसमें पूरी तरह से मौजूदा उपकरणों को लागू करना, विशेष रूप से 'संयुक्त राष्ट्र के छोटे और हल्के हथियारों के अवैध व्यापार पर प्रतिबंध, रोक और उन्मूलन के लिए की जानेवाली समग्र कार्रवाई' और कानूनी रूप से मान्य अंतरराष्ट्रीय तरीकों को बढ़ावा देना भी शामिल है।

हम वित्तीय, तकनीकी और मानव संसाधनों के विकास के लिए एक सामूहिक, व्यापक और समन्वित ढंग से सशस्त्र हिंसा के मुद्दों के समाधान के लिए प्रतिबद्ध हैं। साथ ही संयुक्त राष्ट्र, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन और अन्य संबंधित संगठनों के साथ मिलकर इस मुद्दे पर काम करने को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

हम सशस्त्र हिंसा का इंसान, समाज और अर्थव्यवस्था द्वारा चुकाई जानेवाली कीमत को सही तरीके से मापने के लिए शुरू की जानेवाली पहल का समर्थन करेंगे, खतरों और कमजोरियों का आकलन करेंगे, सशस्त्र हिंसा को रोकने के लिए शुरू किए जानेवाले कार्यक्रमों के प्रभाव की जांच करेंगे, और सर्वोत्तम प्रणालियों (बेस्ट प्रैक्टिसेस) से जुड़ी जानकारियों का प्रचार-प्रसार करेंगे। हम प्रभावित देशों और समुदायों और दाता समुदाय (डोनर कम्युनिटी) के साथ काम करेंगे जिससे स्थानीय, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और विश्व स्तर पर समाधानों के साथ क्षमता निर्माण (कैपेसिटी बिल्डिंग) को बढ़ावा मिले सके।

हमारी कोशिश होगी कि, 2015 तक, पूरी दुनिया से हम सशस्त्र हिंसा के भार को कम कर सकें, और दुनिया भर में मानव सुरक्षा में वास्तविक सुधार ला सकें।

हम विकास, शांति और सुरक्षा निर्माण, जन स्वास्थ्य, मानवीय, मानवाधिकार और आपराधिक न्याय समुदायों के साथ मिलकर काम करेंगे, और सशस्त्र हिंसा में कमी लाने, सरकारों, अंतरराष्ट्रीय संगठनों और समाज के बीच सक्रिय सहयोग को बढ़ावा देने में समाज की अहम भूमिका की पहचान करेंगे।

हम आगामी संयुक्त राष्ट्र कांफ्रेंस में इस घोषणा को पेश करेंगे और संयुक्त राष्ट्र के छोटे और हल्के हथियारों के अवैध व्यापार पर प्रतिबंध, रोक और उन्मूलन के लिए की जानेवाली समग्र कार्रवाई की समीक्षा करेंगे।

हम इस पहल को सही तरीके से अपने लक्ष्य की ओर ले जाने के प्रति कटिबद्ध हैं और इन लक्ष्यों की ओर हमारी प्रगति के आकलन के लिए हम 2008 से पहले अवश्य मिलेंगे।

जिनिवा, 7 जून, 2006